संख्या-132/2017-834/नौ-5-2018-175बजट/2011

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक: 23 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रखरखाव/अनुरक्षण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(रामगंगा), सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-1679/मु0अ0(रामगंगा)का0/अनुगं0बै0 दिनांक 06.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रखरखाव/अनुरक्षण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधानित धनराशि रू. 330.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-123/2017-3953/नौ-5-2017-175बजट/2011 दिनांक 17.10.2017 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू. 165.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, का व्यय हो जाने के दृष्टिगत रू0 165.00 लाख **(रू. एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र)** की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रम सं0	मद
1	गेटों के रख-रखाव, मरम्मत/पहियों को बदलना, गाइड रोलर्स, रोपस, सीलस, गेटों की पेन्टिंग, आपरेटिंग प्लेटफार्म, सुपरस्ट्रक्चर एवं बैलेन्स बाक्स इत्यादि
2	बिजली बिल 150 के.वी.ए. इलेक्ट्रिक कनेक्शन
3	वेयरिंग कोट व फर्श, लांचिग अप्रन सी.सी.ब्लाक्स की बाढ़ के कारण मरम्मत
4	मार्जिनल बन्ध, एफलेक्स बन्ध, गाइड बन्ध की मरम्मत
5	लाइट फिटिंग व इलेक्ट्रिक लाइट की मरम्मत
6	नालों की सफाई एवं रख-रखाव
7	रिजर्वायर एरिया में जलकुम्भी की सफाई
8	बैराज के ऊपर पुल का रख-रखाव
9	सिक्योरिटी स्टाफ एवं गनर, गार्डस दो जगहों पर प्रत्येक शिफट के लिए तथा सामान्य सुरक्षा हेतु दो गार्ड प्रत्येक शिफट के लिए
10	साइट आफिस एवं कन्ट्रोल रूम के रख-रखाव
11	बिल्डिंग मेन्टीनेन्स-अनावासीय आफिस, फील्ड हास्टल, आवासीय भवनों का रख-रखाव, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति(विद्युत देयों को शामिल करते हुए) सेनिटेशन
12	अधिष्ठान व्यय

(1). उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से करते हुए अधिशासी अभियंता, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर को दिनांक 27.03.201 तक बैंक डाफट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय।

(2). स्वीकृत की गयी धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।

(3). स्वीकृत की जा रही धनराशि उपर्युक्त कार्यो पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि अन्य कार्यो पर व्यय नहीं की जायेगी।

(4). व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक निदेशक, नगरीय निकाय/नगर विकास अनुभाग-5, उ.प्र.शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5). व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद को भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(6). इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 में दिये गये सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में लेखाशीर्षक-2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-04-गंगा बैराज, कानपुर-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय पत्र संख्या-ई-8- 768 /दस--2018 23 दिनांक मार्च , 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या-132/2018/834(1)/नौ-5-2018-175बजट/2011, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, सिंचाई/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मण्डलायुक्त, कानपुर।
5. जिलाधिकारी, कानपुर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, कानपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. मुख्य अभियंता (राम गंगा) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 98-कैनाल कालोनी, फूलबाग, कानपुर।
10. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2।
11. सुपर यूज़र नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव ।